

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 129/2018

दायर दिनांक: 19.01.2011

## उनवान

1. नन्दलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

## बनाम

1. शंकरलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री धुलीलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी तह० अटरू जिला बारां राज०।
2. हुकमचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. महेन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०।
4. सुमित्रा बाई आयु 42 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. चम्पाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नि पप्पू जाति कुम्हार निवासी श्योजपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड राज०।
6. रामप्यारी बाई आयु 70 वर्ष बेवा प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज०।
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री रामसिंह मीणा।

आदेश

दिनांक : 26/09/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.2012 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम दीलोद हाथी के ख०नं० 116 रकबा 0.91 है० ख०नं० 183 रकबा 1.06 है० ख०नं० 406 रकबा 0.97 है० ख०नं० 408 रकबा 1.17 है० कुल किता 4 रकबा 4.11 है० में वादी को 1/2 हिस्से

का खातेदार कृषक घोषित कर तहसीलदार अटरू से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/753 दिनांक 07.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिससे अभिभाषक पक्षकारान सहमत है।

अतः विवादित आराजी ग्राम दीलोद हाथी की ख0नं0 116 रकबा 0.91 है0 ख0नं0 183 रकबा 1.06 है0 ख0नं0 406 रकबा 0.97 है0 ख0नं0 408 रकबा 1.17 है0 कुल किता 4 रकबा 4.11 है0 का हिस्सानुसार निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है:-

1. वादी नन्दलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी के हिस्से में 1/2 हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
116 उत्तर	0.45	बरानी 1	3.15
183 उत्तर	0.53	बरानी 1	3.71
406 उत्तर	0.49	बरानी 1	1.76
408पूर्व	0.58	बरानी 1	2.52
किता 4	2.05		11.14

2. प्रतिवादी क 1 ल 6 शंकर लाल पुत्र धूली लाल हिस्सा 1/2 हुकमचन्द्र पुत्र प्रभूलाल, महेन्द्र पुत्र प्रभूलाल, सुमित्रा बाई, चम्पाबाई पुत्रियां प्रभूलाल रामप्यारी बाई पत्नि प्रभूलाल हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
116 दक्षिण	0.46	बरानी 1	3.22
183 दक्षिण	0.53	बरानी 1	3.71
406 दक्षिण	0.48	बरानी 1	1.92
408	0.59	बरानी 1	2.30
किता 4	2.06		11.21

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 129/2018

उनवान

1. नन्दलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री धुलीलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. हुकमचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. महेन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. सुमित्रा बाई आयु 42 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. चम्पाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नि पप्पू जाति कुम्हार निवासी श्योजपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0।
6. रामप्यारी बाई आयु 70 वर्ष बेवा प्रभूलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

**बहाजिर :-**

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री रामसिंह मीणा।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम दीलोद हाथी की ख0नं0 116 रकबा 0.91 है0 ख0नं0 183 रकबा 1.06 है0 ख0नं0 406 रकबा 0.97 है0 ख0नं0 408 रकबा 1.17 है0 कुल किता 4 रकबा 4.11 है0 का हिस्सानुसार निम्न प्रकार से विभाजन किया जाता है:-

1. वादी नन्दलाल आयु 68 वर्ष पुत्र श्री घांसीलाल जाति कुम्हार निवासी दीलोद हाथी के हिस्से में 1/2 हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
116 उत्तर	0.45	बरानी 1	3.15
183 उत्तर	0.53	बरानी 1	3.71
406 उत्तर	0.49	बरानी 1	1.76
408पूर्व	0.58	बरानी 1	2.52
किता 4	2.05		11.14

2. प्रतिवादी क 1 ल 6 शंकर लाल पुत्र धूली लाल हिस्सा 1/2 हुकमचन्द्र पुत्र प्रभूलाल, महेन्द्र पुत्र प्रभूलाल, सुमित्रा बाई, चम्पाबाई पुत्रियां प्रभूलाल रामप्यारी बाई पत्नि प्रभूलाल हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा0 देह के खाते में रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
116 दक्षिण	0.46	बरानी 1	3.22
183 दक्षिण	0.53	बरानी 1	3.71
406 दक्षिण	0.48	बरानी 1	1.92
408	0.59	बरानी 1	2.30
किता 4	2.06		11.21

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।  
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.09.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

